बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि.प्रा. II य[1]–47/2007–   /पटना, दिनांक

सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

विषय– विश्वबैंक सम्पोषित केन्द्र प्रायोजित योजना "तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम फेज–II (Technical Education Quality Improvement Programme Phase-II)" के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि में से व्यय के उपरांत राजकोष में जमा राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभागान्तर्गत भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय (बी.सी.ई.) भागलपुर को कुल रू. 185.71 लाख (एक करोड़ पचासी लाख इकहत्तर हजार रूपये) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–57, दिनांक 09.01.2013 के द्वारा विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.आई.टी.) मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय (बी.सी.ई.) भागलपुर में वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक विश्वबैंक सम्पोषित केन्द्र प्रायोजित योजना "तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम फेज–II (Technical Education Quality Improvement Programme Phase-II)" के कार्यान्वयन एवं इसके पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकक (NPIU) के साथ समन्वय हेतु State Project Facilitation Unit (SPFU) के गठन पर व्यय हेतु कुल रू. 2903.34 लाख मात्र (उनतीस करोड़ तीन लाख चौंतीस हजार रूपये मात्र) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 में उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु रू. 405.00 लाख (चार करोड़ पांच लाख रूपये) मात्र विमुक्ति की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की गई थी–

क्रम	संस्थान/एकक का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये लाख में)		
		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1	मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, मुजफ्फरपुर	150.00	50.00	200.00
2	भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भागलपुर	150.00	50.00	200.00
3	State Project Facilitation Unit (SPFU)	3.75	1.25	5.00
	कुल	303.75	101.25	405.00

2. उक्त विमुक्त राशि में से व्यय के उपरांत, भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय (बी.सी.ई.) भागलपुर के पत्रांक–1682, दिनांक 15.09.2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्रांश की राशि रू. 1,39,23,212=00 मात्र तथा राज्यांश की राशि रू. 46,47,718=00 मात्र अर्थात कुल रू. 1,85,70,930=00 (एक करोड़ पचासी लाख सत्तर हजार नौ सौ तीस रूपये) मात्र, चालान के माध्यम से राज्य सरकार के खाता में जमा कर दिया गया।

3. राज्य सरकार ने विश्वबैंक सम्पोषित केन्द्र प्रायोजित योजना "तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम फेज–II (Technical Education Quality Improvement Programme Phase-II)" के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि में से व्यय के उपरांत राजकोष में जमा राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभागान्तर्गत भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय (बी॰सी॰ई॰) भागलपुर को राज्य योजना के अधीन केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में क्रमशः रू॰ 1,39,23,000=00 मात्र एवं रू॰ 46,48,000=00 मात्र अर्थात कुल रू॰ 1,85,71,000=00 (एक करोड़ पचासी लाख इकहतर हजार रूपये) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

4. विमुक्ति हेतु उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजना बजट के निम्नवत बजटशीर्षों में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलित होगा–

(i) मुख्यशीर्ष–"2203–तकनीकी शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–112– इंजीनियरिंग/ तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0203– तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम" (विपत्र कोड– P2203001120203) के अधीन विभिन्न विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से रू॰ 1,39,23,000=00 (एक करोड़ उनचालीस लाख तेईस हजार रूपये) मात्र तथा

(ii) मुख्यशीर्ष–"2203–तकनीकी शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–112–इंजीनियरिंग /तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0303–तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम" (विपत्र कोड–P2203001120303) के अधीन विभिन्न विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से रू॰ 46,48,000=00 (छियालीस लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र।

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भागलपुर होंगें।

6. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, भागलपुर से की जायेगी तथा उसे इस परियोजना के निमित्त खोले गए बैंक खाता में रखा जायेगा। उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

7. उक्त स्वीकृत राशि से यंत्रों एवं उपस्करों का क्रय योजनान्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

8. उक्त राशि का व्यय Board of Governor (BOG) के अनुमोदनोपरांत किया जायेगा।

9. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्रांक– F.No.16-5/ 2012-TS.VII, दिनांक 30.05.2012 तथा अन्य सुसंगत पत्रों द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश एवं शर्त्तों के अधीन किया जायेगा।

10. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगी।

11. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

12. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –
(ओम प्रकाश राय)
सरकार के अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ II य1–47 / 2007– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ II य1–47 / 2007– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ II य1–47 / 2007– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भागलपुर को उनके पत्रांक–1682, दिनांक 15.09.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ II य1–47 / 2007– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग सह राज्य परियोजना सलाहकार, State Project Facilitation Unit (SPFU) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ II य1–47 / 2007– 04 /पटना, दिनांक– 4-1-2016

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / उप निदेशक (यो) / बजट सहायक / आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/01/16

सरकार के अपर सचिव